

पत्रांक-BMSIC/80205/05-2022/758

दिनांक-25/08/2025

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

BMSICL, Patna.

सेवा में,

M/s Rishikesh Kumar,
At-Bahadurpur Housing Colony,
Kankarbagh, Patna Bihar

विषय- ANMMCH, Gaya में 30 शैया के ICU के अधिष्ठापन का कार्य (Civil, Plumbing, Electrical, Furniture, Etc.) निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग- निगम मुख्यालय के पत्रांक- BMSIC/80205/05-2022/110, दिनांक-03.04.2025 एवं उप महाप्रबंधक (परि०), गया का पत्रांक- BMSIC/Gaya Div./897 (अनु०) दिनांक-25.03.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक-03.05.2023 को निर्गत किया गया है। विदित है कि एकरारनामानुसार विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि 03 माह अर्थात् दिनांक-02.08.2023 निर्धारित था, परन्तु लगभग 20 माह से अधिक समाप्त हो जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

1. उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), गया के द्वारा पत्रांक-504 दिनांक-02.11.2024 के माध्यम से प्रदत्त अवधि विस्तार की तिथि 30.08.2024 के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं करने तथा कार्य की प्रगति काफी धीमी होने के कारण आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु इसके संबंध में आपके द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। तदोपरांत निगम मुख्यालय के पत्रांक-BMSIC/80205/05-2022/110 दिनांक-03.04.2025 के द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कालीकृत करने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया। पूछे गये स्पष्टीकरण जबाब आपके द्वारा समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं है।

2. विदित हो पूर्व में ही आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदत्त अवधि विस्तार की निर्धारित अवधि दिनांक-30.08.2024 तक कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप निगम के द्वारा पत्रांक-BMSIC/80205/05-2022/5536 दिनांक 24.09.2024 से एकरारनामा के कंडिका-3.3 एवं 4.8 के अनुसार कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जा चुका है, फिर भी कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं शिथिलता यथावत् है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जानबुझ कर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।

3. आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

4. कार्य प्रारंभ नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) गया के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- BMSIC/Gaya Div./897(अनु०) दिनांक-25.03.2025 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुनर्निर्दिष्ट करने की अनुशंसा की गई।



उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) गया से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (M/s Rishikesh Kumar, At-Bahadurpur Housing Colony, Kankarbagh, Patna Bihar) के Agreement संख्या:- 30 Bedded(ICU) at ANMMCH Gaya/SBD/18/2023-2024 दिनांक:- 03.05.2023 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeit) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक: 25/05/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80205/05-2022/758

प्रतिलिपि:- (1) महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर, दक्षिण/ महाप्रबंधक (वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, गया को निदेशित करना है, कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये कार्य का समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि निविदा की प्रक्रिया कर शेष कार्य कराया जा सके।

प्रतिलिपि:- (2) सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- (3) जिला पदाधिकारी, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- (4) प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि:- (6) प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक: 25/05/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80205/05-2022/758

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)